

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0ब02 / 1-23 / 2016- 1730 / यो0वि0,पटना,दिनांक 15 अप्रैल, 2019
प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
अपर निदेशक

सेवा में,

अत्यावश्यक

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार
सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी,
सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार

विषय: **CFMS में Entry के संबंध में।**


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय संव्यवहारों के निमित्त CFMS व्यवस्था लागू की गयी है और इसी के तहत आवंटन दिया जाना है। परन्तु मांग संख्या 35 के विपत्र कोड जिसमें आवंटन दी जाती है, उसके Office Name में अधिकांशतः क्षेत्रीय कार्यालय का नाम Entry नहीं है।


अतः जिस विपत्र कोड में आवंटन दी जाती है, CFMS के द्वारा उस विपत्र कोड के Receive allotment form में मुख्यालय (Planning & Development Dept.) का नाम Entry करना आवश्यक है। तत्पश्चात मुख्यालय से CFMS से आवंटन दी जा सकती है।

अनुरोध है कि CFMS Module के Office Name में क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय Receive allotment form में मुख्यालय (Planning & Development Dept.) का नाम Entry करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


(प्रमोद कुमार वर्मा)
अपर निदेशक

ज्ञापांक: यो0ब02 / 1-23 / 2016- 1730 / यो0वि0,पटना,दिनांक 15 अप्रैल, 2019
प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग (विभाग के साईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर निदेशक